न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजेरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 22/2024/अपील/झाला0
दायरा दिनांकः 4.3.2024
अन्तर्गत धाराः 7 (3) राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995

उनवान

रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल तंवर निवासी बांकियापुरा जिला राजगढ (म0प्र0)।

...अपीलार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर झालावाड।
2. थानाधिकारी थाना गंगधार जिला झालावाड (राज0)।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजबिहारी गोचर अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 32/प्रा0पत्र/21 प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 220/2021 थाना गंगधार जुर्म अन्तर्गत धारा 5,6,8 व 9 राज0 गोवशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम वास्ते सुपुर्दगी वाहन पिकअप एम0पी0 39 जी 3329 बावत मे पारित निर्णय दिनांक 29.11.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील धारा 7 (3) राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि पुलिस थाना गंगधार द्वारा प्र.सू.रि.स. 220/2021 मे जप्त वाहन पिकअप एम पी 39 जी 3329 के अधिहरण को सुपुर्दगी मे दिये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले मे प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का विकल्प दिया जाकर थानाधिकारी गंगधार को जप्त वाहन को इस शर्त पर प्रार्थी को सुपुर्दगी मे दिये जाने का आदेश किया कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन मे बीमा दस्तावेज मे अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष मे जमा कराकर रसीद एंव वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना गंगधार के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिया जावे। राशि जमा नही कराने की दशा मे वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जरिये निलामी निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 7 (3) राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995 मे इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो, तथ्यों व कानूनी सिद्धान्तो को नजरअंदाज कर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

ज्युडिशियल माईन्ड एप्लाई किये बिना पूर्णतया आरबिट्रेटरी रूप से पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से यह स्पष्ट था कि अपीलांट मात्र किराये पर अपनी गाडी लेकर गया था तथा पशु स्वामी के निर्देशनुसार पशुओं का परिवहन कर रहा था तथा वाहन मे पशुओं के खडे रहने के लिये पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी पशुओं के हवा, पानी रोशनी के लिये उक्त वाहन मे समुचित व्यवस्था थी। जांच के दौरान कोई पशु अस्वस्थ नही पाया गया। पुलिस द्वारा झूठा मामला बनाया गया है तथा अपीलाट के अनपढ होने का फायदा उठाकर जबरन खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये गये जबकि अपीलाट ने कोई बयान आदि नही दिये उक्त पशुधन का अपीलांट द्वारा पशुधन का अवैध परिवहन नही किया जा रहा था तथा उक्त पशुधन से अपीलांट का कोई संबध नही है। उक्त वाहन अपीलांट का आजीविका का एक मात्र साधन है उक्त वाहन लगभग नौ माह से थाना गंगधार पर खडे रहने से प्रार्थी व उसके परिवारजन के समक्ष भूखें मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लम्बे समय तक वाहन के खडे रहने से वाहन के पाटर्स व मशीनरी खराब होने की भी पूर्ण संभावना है। वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना अत्यधिक व अव्यवहारिक है जिसे जमा कराने मे अपीलांट पूर्णतया असक्षम है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील स्वीकार कर जैर अपील निर्णय निरस्त करते हुये उक्त वाहन रिलीज कर अपीलार्थी की सुपुर्दगी मे दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जप्त वाहन रिलीज कर अपीलार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने का अनुरोध किया।

रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय विधिसम्मत एंव न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर पेश की है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एंव स्वयं का शपथा पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अक्विसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुलिस थाना गंगधार द्वारा प्र.सू.रि.स. 220/2021 अपराध धारा 5.6.8 व 9 राज0 गोवंशीय अधिनियम 1995 मे दर्ज किया जाकर वाहन पिकअप एम0 पी0 39 जी 3329 जप्त किया गया जिसे सुपुर्दगी मे दिये जाने जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले मे प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का विकल्प दिया जाकर थानाधिकारी गंगधार को जप्त वाहन को इस शर्त पर प्रार्थी को सुपुर्दगी मे दिये जाने का आदेश किया कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन मे बीमा दस्तावेज मे अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष मे जमा कराकर रसीद एंव वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना गंगधार के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जावे। राशि जमा नही कराने की दशा मे वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जरिये निलामी निस्तारण किये जाने का आलौच्य जेरअपील निर्णय 29.11.2021 पारित किया है। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि अपीलांट पशु स्वामी के निर्देशनुसार पशुओं का परिवहन कर रहा था। पशुधन का अपीलांट द्वारा अवैध परिवहन नही किया गया तथा पशुधन से अपीलांट का कोई संबध नही है। जप्त वाहन अपीलांट की आजीविका का एक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मात्र साधन है उक्त वाहन लगभग नौ माह से थाना गंगधार पर खडे रहने से प्रार्थी व उसके परिवारजन के समक्ष भूखें मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लम्बे समय तक वाहन के खडे रहने से वाहन के पाटर्स व मशीनरी खराब होने की भी पूर्ण संभावना है। वाहन की कीमत के बराबर जुर्माना अत्यधिक व अव्यवहारिक है जिसे जमा कराने मे अपीलांट पूर्णतया असक्षम है। अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबध मे हस्तगत अपील प्रकरण मे हमारा यह अभिमत है कि जप्त उक्त वाहन अपीलार्थी की आजिवीका का साधन मात्र है तथा अत्याधिक लम्बे समय तक खडे रहने की स्थिति मे पार्टस व मशीनरी के खराब होने की संभावना को नकारा नही जा सकता ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर सहज न्याय के दृष्टिगत, न्यायहित मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 29.11.2021 को आंशिक रूप से इस आशय के साथ संशोधित किया जाकर थानाधिकारी गंगधार को जप्त वाहन को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दौराने लम्बित प्रकरण, वाहन पिकअप एम0पी0 39 जी 3329 को खुर्दबुर्द अथवा बेचान नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आवश्यक रूप से तत्काल संबधित न्यायालय मे पेश करेंगा, एंव प्रार्थी यदि उक्त वाहन मे बीमा दस्तावेज मे अंकित वाहन की कीमत की 50 प्रतिशत राशि का जुर्माना राजकोष मे जमा कराकर रसीद एंव वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज या प्रमाणित दस्तावेज थानाधिकारी थाना गंगधार के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी/अपीलार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जावे। राशि जमा नही कराने की दशा मे वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जरिये निलामी निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के शेष अंश यथावत रहेगे। थानाधिकारी थाना गंगधार को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा